

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक-

/23

सतना, दिनांक : 12.12.2023

आदेश (आदेश)

मैं, अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माह-जनवरी 2024 की अवकाश अवधि में आपसी चर्चा/सहमति उपरांत अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्युटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। उक्त तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दाण्डिक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे -

क.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह-जनवरी
1	2	3
1	श्री शैलेन्द्र उईके	20
2	श्री शिरीष शुक्ला,	7
3	श्रीमती शक्ती वर्मा,	14, 15
4	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल	01
5	श्री अजय प्रताप सिंह यादव	21
6	श्रीमती रेनू यादव	26
7	श्रीमती कामिनी प्रजापति	28

नोट:-

- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक-64/चार-1-1/2013/14 सतना, दिनांक-24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड ड्युटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।
- अचानक अवकाश घोषित होने पर माह-जनवरी-2024 में श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल, जे.एम.एफ.सी. सतना, आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल अनुपस्थित रहती हैं तो मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रिमाण्ड व आवश्यक कार्य सम्पादित किया जाएगा।
- पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- अपरिहार्य कारणवश यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्युटी करने में असमर्थ रहता है तो मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जाएगा।
- सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा-164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेंगे।
- किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट व सदस्यों के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालय की रिमाण्ड उपरोक्तानुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
- रिमाण्ड ड्युटी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकता होने पर प्रोटोकाल से संबंधित कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।

नोट:- यदि दिनांक 13.01.2024 को अवकाश घोषित किया जाता है तो दिनांक 14 एवं 15. 01.2024 को रिमाण्ड ड्युटी सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्युटी सम्पादित किया जाएगा।

(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 149(2)/23

सतना, दिनांक : 12.12.2023

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

12/12/23
नीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला-सतना (म.प्र.)

क्रमांक-

/ 22

सतना, दिनांक : 12.12.2023

(आदेश)


मैं, अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माह-जनवरी 2024 की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दायित्व कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियुटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। उक्त तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दायित्व कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे -

क्र.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह-जनवरी
1	2	3
तहसील-रामपुर बाघेलान		
1	श्रीमती बबिता होरा शर्मा,	7, 21
2	श्री मुकेश कुमार शिवहरे,	1, 20, 28
3	सुश्री प्रतिभा वास्करे	14, 15, 26
तहसील-अमरपाटन		
1	श्री विनोद कुमार वर्मा,	1, 7, 14, 15
2	श्री विनय सोनी	20, 21
3	श्री बृजेश कुमार राजपूत	26, 28
तहसील-नागौद		
1	श्री अजय कुमार सिंह	7, 14, 15
2	श्रीमती मनीषा जैन तिवारी	1, 26, 28
3	श्री हर्ष वर्धन धाकड़	20, 21
तहसील-मैहर		
1	श्रीमती राखी साहू	14, 15
2	श्री उमेश भगवती	7
3	सुश्री हेमलता अहिरवार	1
4	श्री विशाल रिछारिया	20, 21
5	सुश्री पूजा विजयवर्गीय	26, 28
तहसील-चित्रकूट		
1	श्री सौरभ गोस्वामी,	1, 20, 21, 26
2	सुश्री रवीना चौधरी	7, 14, 15, 28
तहसील-उचेहरा		
1	नीलेन्द्र कुमार तिवारी	1, 20, 21, 28
2	सुश्री शबाना खान	7, 14, 15, 26

नोट:-

- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक-64/चार-1-1/2013/14 सतना, दिनांक-24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड डियुटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।


- 2- पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
 - 3- न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी होने पर आवश्यक कार्य आ जाने पर अवकाश लेने की स्थिति में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आपसी सहमति बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे।
 - 4- सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा-164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेंगे।
 - 5- **"अचानक अवकाश घोषित होने पर माह-जनवरी-2024 में संबंधित तहसील मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे।"**
 - 6- अवकाश अवधि में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रोटोकाल का कार्य भी सम्पादित करेंगे।
- नोट:- यदि दिनांक 13.01.2024 को अवकाश घोषित किया जाता है तो दिनांक 14 एवं 15.01.2024 को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किया जाएगा।


 (अनीता खजूरिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 सतना (म.प्र.)
 सतना, दिनांक : 12.12.2023

पृष्ठांकन क्रमांक- 150(2)/23

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सभी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।


 (अनीता खजूरिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 सतना (म.प्र.)